अनुच्छेद 142

प्रलिमि्स के लयि:

अनुच्छेद 142, सर्वोच्च न्यायालय, उपभोक्ता संरक्षण नयिम, 2020, 'शक्तयिों के पृथक्करण' का सद्धिांत।

मेन्स के लयि:

अनुच्छेद 142।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के तहत फैसला सुनाया कि **10 वर्ष के अनुभव वाले वकील और पेशेवर राज्य उपभोक्ता आयोग एवं ज़िला मंचों के अध्यक्ष तथा सदस्य के रूप में नयिुक्ति के पात्र** होंगे।

- सर्वोच्च न्यायालय ने उपभोक्ता संरक्षण अधनियिम, 2019 की धारा 101 के तहत **उपभोक्ता संरक्षण नयिम, 2020** के प्रावधानों को रद्द करने के **बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा,** जसिमें राज्य उपभोक्ता आयोगों एवं ज़िला मंचों के सदस्यों हेतु क्रमशः 20 वर्ष और 15 वर्ष का न्यूनतम पेशेवर अनुभव नरि्धारति कयिा गया है।

न्यायालय का फैसला:

- केंद्र सरकार और संबंधति राज्य सरकारों को **उपभोक्ता संरक्षण (नयिुक्ति हेतु योग्यता, भर्ती की वधि,ि नयिुक्ति की प्रक्रयिा, पद की अवधि,ि राज्य आयोग और ज़िला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का इस्तीफा तथा हटाने) नयिम, 2020 में** संशोधन करना होगा ताकि राज्य आयोग और ज़िला मंचों के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में नयिुक्ति के लयि **क्रमशः 20 वर्ष और 15 वर्ष के बजाय 10 वर्ष के अनुभव का प्रावधान कयिा जा सके।**
- उपर्युक्त संशोधन कयि जाने तक स्नातक की डग्रिी वाले वकील और पेशेवर जनिके पास **उपभोक्ता मामलों, कानून, सार्वजनकि मामलों, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणज्यि, उद्योग, वति्त, प्रबंधन, इंजीनयिरगि, प्रौद्योगकिी, सार्वजनकि स्वास्थ्य या चकित्सिा में 10 वर्षों का अनुभव** है, राज्य उपभोक्ता आयोग और ज़िला मंचों के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में नयिुक्ति के पात्र होंगे।
- न्यायालय ने **उम्मीदवारों** की पात्रता की **जाँच करने के लयि लखिति परीक्षा और मौखकि परीक्षा (Viva Voce)** का सुझाव भी दयिा।

अनुच्छेद 142 क्या है?

- **परचिय:**
  - अनुच्छेद 142 **सर्वोच्च न्यायालय को वविेकाधीन शक्ति** प्रदान करता है क्योंकि इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधकिार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए **ऐसी डकि्री पारति कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है** जो उसके समक्ष लंबति कसिी भी मामले या मामलों में **पूर्ण न्याय सुनश्चिति करने के लयि आवश्यक** हो।
- **रचनात्मक अनुप्रयोग:**
  - **अनुच्छेद 142** के वकिास के शुरुआती वर्षों में आम जनता और वकीलों दोनों ने **समाज के वभिन्नि वंचति वर्गों को पूर्ण न्याय दलिाने** या पर्यावरण की रक्षा करने के प्रयासों के लयि सर्वोच्च न्यायालय की सराहना की।
  - ताजमहल की सफाई और अनेक वचिाराधीन कैदयिों को **न्याय दलिाने में इस अनुच्छेद का महत्त्वपूर्ण योगदान** है।
- **न्यायकि अतरिक के मामले: Cases of Judicial Overreach:**
  - हाल के वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय के कई नरि्णय हुए हैं जनिमें यह उन क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा है जो लंबे समय से न्यायपालकिा के लयि 'शक्तयिों के पृथक्करण' के सद्धिांत के कारण वर्जति थे, जो कि "संवधिान का मूल संरचना" का हस्सिा है। ऐसा ही एक उदाहरण

है:

- **राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के किनारे शराब बिक्री पर प्रतिबंध:** केंद्र सरकार की अधिसूचना में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे शराब की दुकान खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 को लागू करते हुए इस प्रतिबंध को 500 मीटर की दूरी तक सीमित दिया है।
- इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी राज्य सरकार की इस तरह की अधिसूचना के अभाव में न्यायालय ने प्रतिबंध को राज्य राजमार्गों तक बढ़ा दिया।
- **अनुच्छेद 142** को लागू करने के इस तरह के फैसलों ने न्यायालयों में निहित विवेकाधिकार की शक्ति को लेकर अनिश्चितता पैदा कर दी है, जहाँ व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की अनदेखी की जा रही है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निबंधन अथवा उपबंध, अनुच्छेद 142 के अधीन सांविधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन-सा एक इसका अर्थ हो सकता है? (2019)

(a) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते समय लिये गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
(b) भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता ।
(c) देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना वित्तीय आपात घोषित कर सकता है।
(d) कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल, संघ विधानमंडल की सहमति के बिना विधि निर्मित नहीं कर सकते।

उत्तर: (b)

स्रोत: बिज़िनेस स्टैण्डर्ड

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/article-142-3